

मैने प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहरा पर मनन किया । संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभौति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार—

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन— (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आवादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए हैं या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23-ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है, अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत सनवाडा आर में आवासीय मकान उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया जाना रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144 से 160 की पालना नहीं करते हुए नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि नियम के तहत पट्टे पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा दिनांक 25.11.2007 को जारी किया गया है। चूंकि दिनांक 25.11.2007 को रविवार था, जबकि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा दिनांक 25.11.2007 को बैठक होना दर्शाते हुए उक्त दिनांक को पट्टा जारी किया है, जो पट्टे जारी करने की कार्यवाही पर संदेह पैदा करता है एवं न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक व दो ने किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 25.11.2007 बुक संख्या 123 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



Belloo
8.3.22
(डॉ. भैवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही